

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या  
87/2017

रजू दिनांक  
23.04.2019

पर्चा डिक्री दिनांक  
22.11.2021

उनवान

1. विनोद कुमार पुत्र लल्लूराम जाति स्वामी (मृतक) ।  
1/1 लाली देवी पत्नी विनोद कुमार  
1/2 योगेश कुमार  
1/3 दलीप कुमार पुत्रान विनोद कुमार  
1/4 गीता देवी पुत्री विनोद कुमार
- 2 रामनिवास पुत्र लल्लूराम जातियान स्वामी निवासी बिजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 ।

—: वादीगण

बनाम

1. फूलपति पत्नी काबलीसिंह
2. इन्द्राज (मृतक)  
2/1 सुनील कुमार पुत्र इन्द्राज  
2/2 बाला देवी पत्नी इन्द्राज
3. मनीराम
4. हीरालाल पुत्रान प्रेम
5. रोशनी देवी
6. बाला देवी पुत्रीयान प्रेम जातियान स्वामी निवासी बिजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 ।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0 ।
6. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0 ।

—: प्रतिवादीगण

दावा:- तकासमा मय वो हु0ई0दवामी

—: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री महेश यादव एडवोकेट में इस वाद में आज दिनांक 22.11.2021 को श्री पंकज बडगूजर, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है:-

अतः वाद वादी आराजी खसरा नम्बर 642 रकबा 0.57 हैव0 वाके ग्राम बिजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर को तकसीम किये जाने बाबत अन्तिम डिक्री किया जाता है प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। वाद शिर्षिक एवं कुर्रैजात रिपोर्ट "प्रदर्श-अ" अन्तिम पर्चा डिक्री के अभिन्न अंग रहेगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज बडगूजर)  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0

